सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 20/09/2018

File No. Tour Programme/11/VC/2018/RU-III

सेवा में,

1. कलेक्टर,
   जिला–छिंदवाड़ा,
   (मध्य प्रदेश)
2. कलेक्टर,
   जिला–मंडला,
   (मध्य प्रदेश)
3. कलेक्टर,
   जिला– नागपुर
   (महाराष्ट्र)

विषयः दिनांक 23.04.2018 से 01.05.2018 को माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नागपुर (महाराष्ट्र) छिंदवाड़ा एव मंडला (मध्य प्रदेश) दौरे का कार्यवृत ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 23.04.2018 से 01.05.2018 तक नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा, मंडला जिले के दौरे की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

O/C

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

27/09/18

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

प्रवास प्रतिवेदन

-:: TOUR REPORT ::-

-:: DATED 23/04/2018 TO 01/05/2018 {CHHINDWARA, MANDLA, NAGPUR (MP & MH) } ::-

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** **उपाध्यक्ष** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार** **सुश्री दीपिका खन्ना** **प्रभारी सहायक निर्देशक** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार** **क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश** **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** **उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार**
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनाँक, वर्ष	**दिनाँक 23 अप्रैल 2018** **से** **01 मई 2018 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**नागपुर, मंडला, छिन्दवाडा** **(महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठ्नों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	मा.श्री सुदर्शन भगत, केन्द्रीय राज्यमंत्री,जनजजाति कार्य विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
2)	श्री फग्गनसिंह कुलस्ते, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद मंडला।
3)	श्रीमती संपतिया उइके, राज्यसभा संसाद मध्यप्रदेश।
4)	विधायक मंडला, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यगण, जनपद पचायत अध्यक्ष एवं सदस्य।
5)	करीब 10,000 जनजाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की उपस्थिति रही।
6)	तोतलाडोह जलाशय से विस्थापित मछुआरों का प्रतिनिधि मंडल।
7)	विश्राम भवन मंडला में जनजाति प्रतिनिधि एवं आवेदन, शिकायत सुझाव प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधियों आमजनों से भेंट की गई।
अधिकारी	
8)	कलेक्टर, मंडला मध्यप्रदेश।
9)	पुलिस अधीक्षक, मंडला।
10)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला।
11)	मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंडला।
12)	सभी विभाग प्रमुख जिला मंडल मध्यप्रदेश।
13)	प्रभारी अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा
14)	सहायक निर्देशक पेंच टाईगर रिजर्व, सिवनी।
15)	सहायक निर्देश मत्स्य विभाग छिन्दवाडा सिवनी
16)	श्री राजीव फिरके, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग छिन्दवाडा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

A. छिन्दवाड़ा, नागपुर, मंडला में आम नागरिकों एवं जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट।

B. सिहोरामाल चौरई जिला छिन्दवाडा में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता।

C. मंडला आदि महोत्सव एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सहभागिता।

D. आयोग में प्रचलित प्रकरण में कलेक्ट्रेट में सुनवाई।

दिनाँक 21 अप्रैल 2018

1. ग्राम सिहोरामाल चौरई में सामाजिक एवं साँस्कृतिक तथा जनजाग्रति हेतु आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरसंघ संचालक मा.श्री मोहन भागवत जी थे उनके द्वारा सभा को संबोधित किया गया, उनके विचारों को सुना। कार्यक्रम में करीब करीब 5000 व्यक्ति उपस्थित थे। कुछ व्यक्तियों से संपर्क कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया।

2. निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आदि उत्सव मंडला में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनजाति तथा अन्य वर्गो के ग्रामीण व्यक्ति उपस्थित थे जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

   A. कार्यक्रम का शुभारंभ दो दिवस पूर्व में देश के मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनाँक 24 अप्रैल 2018 को किया गया था।

   B. इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत करीब 1000 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया था जिसमें निर्धारित सहायता राशि एवं सामग्री भी प्रदान की गई।

   C. आदि उत्सव कार्यक्रम में करीब 10000 व्यक्ति उपस्थित थे।

   D. इस अवसर पर चित्रकला एवं रंगोली प्रदर्शन के जनजाति बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरुस्कृत किया गया।

   E. कार्यक्रम स्थल पर विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु स्टाल भी लगाए गए थे, जिनका लाभ उपस्थित ग्रामीणजनों द्वारा लिया गया।

(आदि उत्सव मंडला में मा. श्री सुदर्शन भगत जी मंत्री भारत सरकार के साथ सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं श्री भग्गनसिंह कुलस्त, एवं श्रीमती संपतिया उइके जी व अन्य अतिथिगण)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. मैंने अपने उदबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली, अनुसूचित जनजाति समाज के संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधान, उनके लिये बनाए गए एक्ट, कानून इत्यादि की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही आयोग की कार्यवाही, से जो प्रकरण अपीलों में प्राप्त हुए और सुनवाई में सफल हुए हैं, उनके उदाहरण प्रस्तुत कर सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया।

4. विश्राम भवन मंडला में जन प्रतिनिधियों एवं जनजातियों के सदस्यों से भेंट कर उनकी समस्याएँ एवं सुझाव सुने गये। जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए वे आयोग में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशों सहित प्रस्तुत किये गये।

(आदि उत्सव मंडला में मा. श्री सुदर्शन भगत जी मंत्री भारत सरकार के साथ सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं श्री भग्गनसिंह कुलस्त, एवं श्रीमती संपतिया उइके जी व अन्य अतिथिगण)

5. आयोग में प्रचलित **फाईल संख्या/एयू/7/2017/एसटीजीएमपी/डीओथ/आरयू-3/** अपीलकर्ता श्री आशाराम उइके, अध्यक्ष, विस्थपित जय बजरंग आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति गुमतरा (थुयेपानी) तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाडा एवं अन्य **विरूद्ध** अनावेदक 1-कलेक्टर छिन्दवाडा एवं सिवनी मध्यप्रदेश 2-सीसीएफ छिन्दवाडा एवं सिवनी एवं पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी, 3-अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग छिन्दवाडा एवं सिवनी। 4-निर्देशक /सहायक संचालक मत्स्य विभाग, मध्यप्रदेश,छिन्दवाडा सिवनी के प्रकरण में कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाडा के सभाकक्ष में सुनवाई प्रारंभ की गई। इस प्रकरण का कार्यवाही विवरण प्रथक से प्रस्तुत कर दिया गया है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(आयोग में दर्ज प्रकरण की सुनवाई करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. सुश्री दीपिका खन्ना, क्षेत्रीय कार्यालय, अपीलकर्ता तथा संबंधित विभाग के अधिकारीगण)

6. विश्राम भवन छिन्दवाडा में श्री संदीप उइके एवं अन्य करीब 30-40 व्यक्ति शामिल थे, द्वारा मिलकर अपील / अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि छिन्दवाडा सिवनी नागपुर ब्राडगेज परिवर्तन के लिये अधिग्रहित भूमि के स्वामियों की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा वर्ष 2007-08 और 2013-14 में रेलवे लाईन हेतु भूमि अधिगृहित की गई थी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था किन्तु आज तक नौकरी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक भूमिहीन होने के साथ ही साथ बेरोजगार भी हो गये हैं। रोजगार और जीवन यपन के लिये उन्हें तत्काल रेलवे में नौकरी प्रदान की जावे ताकि उनका जीवन यापन सुचारू रूप से संचालित हो सके।

7. इस आवेदन पत्र को आयोग में प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

(रेलवे लाईन के लिये अधिग्रहित की गई भूमि के भूमि स्वामियों से अपील / ज्ञापन प्राप्त करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. सुश्री दीपिका खन्ना, क्षेत्रीय कार्यालय, अपीलकर्ता गण)

8. दिनाँक 01 मई 2018 छिन्दवाडा-नागपुर-दिल्ली प्रस्थान, प्रवास सम्पन्न।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6-	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	❖ मंडला, छिन्दवाडा एवं नागपुर जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ प्रकरणों में नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये थे। संबंधित कक्ष अधिकारी उक्त प्रकरणों का अनुशंरण कर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें। ❖ मंडल में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में गरीब एवं जनजाति व्यक्तियों को लांभावित किया गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम सराहनीय हैं किन्तु सावधानीपूर्वक विवाहित होने वाले जोड़ों के आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जाना चाहिए। ❖ आयोग में दर्ज प्रकरण _**फाईल संख्या/एयू/7/2017/एसटीजीएमपी/डीओथ/आरयू-3/** अपीलकर्ता श्री आशराम उइके, अध्यक्ष, विस्थपित जय बजरंग आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति गुमतरा (थुयेपानी) तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाडा जिसमें सुनवाई की गई और निर्देश दिये गये हैं उसमें आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi